राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग

क्रमांकः– एफ.6(3)प्र.सु./अनु.–3/2021 दिनांकः– 3/3/2022

आज्ञा

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.10.2021 को "स्वच्छ भारत मिशन" (शहरी) 2.0 की शुरूआत की जाकर दिनांक 27.10.2021 को दिशा निर्देश जारी किये गये है, जो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट sbmurban.org & swachhbharaturban.gov.in पर उपलब्ध है। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 की अवधि अक्टूबर–2021 से अक्टूबर–2026 तक होगी।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैः–

1. Garbage Free City (100% Scientific Management of Solid Waste, Legacy dumpsites remediation)
2. Sustainable Sanitation (Construction of IHHLs, CTs, PTs, Urinals)
3. Used Water Management (Desludging of septic tanks, interception and diversion of drains, construction of STPs/STP cum FSTPs)

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के मुख्य घटक निम्नानुसार हैः–

1. Sustainable Solid Waste Management
2. Sustainable Sanitation
3. Used Water Management
4. IEC/BCC
5. Capacity Building (CB)

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के प्रबन्धन हेतु राज्य स्तर पर **State High Powered Committee (SHPC)** व **State Level Technical Committee (SLTC)** पर समितियों का निम्नानुसार गठन किया जाता है :–

(A). State High Powered Committee (SHPC)

क्र.सं.	अधिकारी	समिति में पद
1.	मुख्य सचिव, राजस्थान	अध्यक्ष
2.	अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग	सदस्य
3.	प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	सदस्य
4.	प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
5.	प्रमुख शासन सचिव, पर्यावरण एवं जल वायु परिवर्तन विभाग	सदस्य
6.	शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग	सदस्य
7.	अध्यक्ष, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल	सदस्य
8.	प्रतिनिधि, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
9.	मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	सदस्य
10.	मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)	सदस्य सचिव

*"**State High Powered Committee (SHPC)** उपरोक्त के अलावा आवश्यकतानुसार अन्य सदस्यों को शामिल कर सकती है तथा वर्ष में कम से कम एक बार या इससे अधिक बार बैठक आयोजित कर सकेगी।"*

State High Powered Committee (SHPC) द्वारा किये जाने वाले कार्यः–

कार्ययोजना बनाना :– एसबीएम उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समग्र कार्ययोजना का अनुमोदन, लघु, मध्यम और दीर्घावधि के लिये आवश्यक धन राशि की कार्ययोजना, अतिरिक्त संसाधन जुटाने की कार्ययोजना, आवश्यक आधारभूत सुविधाओं की स्थापना के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने की योजना इत्यादि सहित स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 का सम्पूर्ण प्रबन्धन।

परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा :– शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कार्यवाही का अंतर–विभागीय समन्वय, परियोजनाओं के निष्पादन के दौरान स्वतंत्र समीक्षा और निगरानी करना।

हितधारकों की क्षमता संवर्धन :– प्रयुक्त जल प्रबंधन (Used Water Management), क्षमता संवर्धन के तहत Information Education & Communication (IEC) और जन जागरूकता गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा करना।

विविध :– कानूनी मुद्दों की समीक्षा, यदि कोई हो, मिशन के कुशल क्रियान्वयन के लिए अन्य मामले एसबीएम की गाईड लाईन के अनुसार राष्ट्रीय मिशन निदेशालय द्वारा संदर्भित मामले।

(B) State Level Technical Committee (SLTC):

क्र.सं.	अधिकारी	समिति में पद
1.	शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग	अध्यक्ष
2.	विशिष्ठ शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग	सदस्य
3.	विशिष्ठ शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव, पर्यावरण एवं जल वायु परिवर्तन विभाग	सदस्य
4.	विशिष्ठ शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय)	सदस्य
5.	प्रतिनिधि, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल	सदस्य
6.	प्रतिनिधि, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
7.	पेरास्टेटल संस्थाओं के प्रतिनिधि	सदस्य
8.	मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	सदस्य
9.	मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)	संयोजक

*" **State Level Technical Committee (SLTC)** उपरोक्त के अलावा आवश्यकतानुसार अन्य सदस्यों को शामिल कर सकती है तथा तीन माह में कम से कम एक बार या इससे अधिक बार बैठक आयोजित कर सकेगी।"*

State Level Technical Committee (SLTC) द्वारा किये जाने वाले कार्य :–

i. राज्य का स्टेट लेवल प्लान व कार्ययोजना बनाना एवं निकायों को ODF+, ODF++, Water+, 3Star गार्बेज फ्री की टाईम लाईन तैयार करना,
ii. नगरीय निकायों को City Sanitation Action Plan (CSAP) & City Solid Waste Action Plan (CSWAP) तैयार करने में मदद करना,
iii. Detailed Project Reports (DPRs) तैयार करने, IT enabled tools & Solutions के लिए मदद करना,
iv. नगरीय निकायों से प्राप्त Detailed Project Reports (DPRs) की समीक्षा करना,
v. राशि आहरित करने के लिए Proposal Tracking System (PTS) पर अपलोड करने के लिए परियोजनाओं को मंजूरी।

(C) राज्य मिशन निदेशक (State Mission Director)

स्वच्छ भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर को मिशन निदेशक बनाया जाता है एवं निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर राज्य मिशन निदेशालय होगा।

मिशन निदेशक द्वारा राष्ट्रीय मिशन निदेशालय से समन्वय कर उनके द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों की नगरीय निकायों से पालना करवाना, मिशन के तहत योजना तैयार करवाना, उनका मूल्याकंन उपरान्त स्वीकृत कर योजनाओं का क्रियान्वयन कराना इत्यादि प्रमुख कार्य किये जायेंगे। साथ ही नगरीय निकायों से प्रगति रिपोर्ट प्राप्त कर संकलित करते हुये राष्ट्रीय मिशन निदेशालय नई दिल्ली को भिजवाई जावेगी। राज्य मिशन निदेशक स्टेट हाई पावर्ड कमेटी में सदस्य सचिव एवं स्टेट लेवल टेक्नीकल कमेटी में संयोजक होंगे।

राज्य मिशन निदेशक की भूमिका में निम्नलिखित शामिल होंगे:–

i. निकाय स्तर पर मिशन के तहत किये जाने वाले कार्यों की योजना, डिजाइनिंग, परियोजना तैयार करने, मूल्यांकन, मंजूरी और क्रियान्वयन के लिए राज्य भर में एक समान संरचना बनाना/अधिसूचित करना,
ii. सभी नगरीय निकायों के लिए CSAP, CSWAP की समीक्षा करना,
iii. SLTC को भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों के संदर्भ में समेकित राज्य स्तरीय योजना (सभी निकायों की योजनाओं का योग) प्रस्तुत करना,
iv. अतिरिक्त संसाधन जुटाने की योजना बनाना,
v. Detailed Project Reports (DPRs) तैयार करने, IT enabled tools & Solutions के लिए मदद करना, डीपीआर तैयार करने के लिए आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए टूल के उपयोग करना,
vi. SHPC के मार्गदर्शन में लघु, मध्यम और दीर्घावधि में निधि प्रवाह की योजना बनाना;
vii. मिशन के तहत परियोजनाओं के लिए निधियों की किश्तों को जारी करने के प्रस्तावों की स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 की गाईड लाईन अनुसार सिफारिश करना,
viii. राज्य में स्वच्छता के लिए कार्रवाई का अभिसरण सुनिश्चित करना और इस उद्देश्य के लिए जब भी आवश्यक हो अंतर–विभागीय समन्वय स्थापित करना,
ix. परियोजनाओं के निष्पादन के दौरान स्वतंत्र समीक्षा और निगरानी (Independent Review & Monitoring) के लिए एजेंसियों का पैनल बनाना,
x. निकाय से प्राप्त डीपीआर की तकनीकी परीक्षण (Scrutiny) उपरान्त SLTC बैठक में रखवाना,
xi. SHPC बैठकों के लिए एजेंडा तैयार करने और एवं बैठक में रखना,
xii. मिशन के कुशल क्रियान्वयन के लिए प्रासंगिक कोई अन्य मामला, या एसबीएम–2.0 गाईड लाईन व राष्ट्रीय मिशन निदेशालय द्वारा संदर्भित मामले।

उपरोक्त बिन्दुओं हेतु Program Management Unit (PMU) सहायता करेगी, जो Deputation/Outsourced की जावेगी। PMU हेतु आवयश्क व्यय स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के क्षमता संवर्धन घटक से किया जावेगा।

(D) District Level

प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में District Level Committee (DLC) रहेगी जो स्वच्छ भारत मिशन शहरी एवं ग्रामीण की क्रियान्विति के लिए सभी दृष्टिकोणो पर समन्वय स्थापित करेगी।

उपरोक्तानुसार SHPC, SLTC, State Mission Director एवं DLC स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 की अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेगी। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के कियान्वयन के लिये प्रशासनिक विभाग स्वायत्त शासन विभाग होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मुन्नी मीना)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, स्वायत्त एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
5. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राज., जयपुर।
6. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज., जयपुर।
7. प्रमुख शासन सचिव, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राज., जयपुर।
8. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर।
9. शासन सचिव, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), पंचायती राज विभाग, राज., जयपुर।
10. शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, राज., जयपुर।
11. विशिष्ठ शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय) राज., जयपुर।,
12. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर।
13. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
14. संभागीय आयुक्त, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर।
15. समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान को भेजकर निवेदन है कि उपरोक्तानुसार कमेटी का गठन कर स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 की कियान्विति करावें।
16. मुख्य अभियन्ता, निदेशालय।
17. अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय।
18. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय।
19. परियोजना निदेशक, निदेशालय।
20. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, निदेशालय।
21. उप निदेशक (क्षैत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग समस्त राज.।
22. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान को भेजकर लेख है कि भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार निकाय स्तर पर City Sanitation Committee का गठन कर स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 की गाईड–लाईन के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करावें।
23. प्रोगामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।
24. सुरक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव